"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 191] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 25 अगस्त 2005—भाद्र 3, शक 1927

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 अगस्त 2005

अधिसूचना

क्रमांक/964/पं./22.—छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) सहपठित धारा 70 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (भर्ती तथा सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1999 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

1. नियम 33 के उपनियम (1) में अंक 58 एवं 60 के स्थान पर क्रमश: अंक 60 एवं 62 प्रतिस्थापित किया जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. मिश्रा, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2005

क्रमांक/पं. ग्रा. वि. वि./2005/973.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (भर्ती तथा सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1999 में संशोधन बाबत् अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. मिश्रा, विशेष सचिव.

Raipur, the 16th August 2005

NOTIFICATION

No./964/P/22.—In exercise of the power conferred by the sub-section (1) of section 95 read with sub-section (2) of section 70 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) the State Govt. hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Panchayat Service (Recruitment and conditions of service) rules, 1999, namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—

1. In sub rule (1) of rule 33 in place of the figures 58 and 60 the figures 60 and 62 shall be substituted respectively.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. C. MISHRA, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2005.